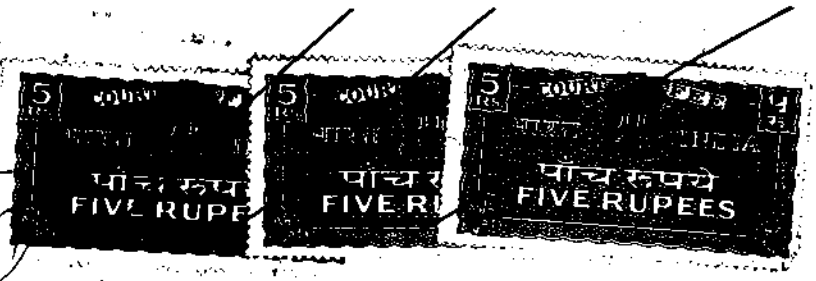

FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर

क्रमांक RL 608
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 8-8-05 को प्राप्त

R-1243-I/05 राजस्व निगरानी प्र. क्र. /2003–04

(1) अनील कुमार पिता सत्यप्रकाश
(2) श्रीमति राजकिरण स्व. पति तिलकराज त्रेहन
(3) शरद कुमार पिता तिलकराज त्रेहन
(4) रणजीत कुमार पिता तिलकराज त्रेहन
सभी निवासीगण सृष्टि क्लब भोपाल रोड देवास

..................निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण

विरूद्ध

बाबूलाल पिता मोतीलाल वर्मा (भोई) उम्र 66 वर्ष धंधा खेती
निवासी मकान नंबर 13 माहेश्वरी गली देवास

..................विपक्षी

श्री हीरालाल जैन, अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत।

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तरगत

महोदय

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के निगरानी प्रकरण क्रमांक 55/2004–05 (बाबूलाल विरूद्ध अनील कुमार आदि) मे पारित आदेश दिनांक 30–06–2005 द्वारा न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला देवास के निगरानी प्रकरण क्रमांक 17/2003–04 मे पारित आदेश दिनांक 31–12–2004 (अनील कुमार आदि विरूद्ध बाबूलाल) को निरस्त किये जाने से यह निगरानी समयावधि मे प्रस्तुत है।

प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी

यह कि विपक्षी की भूमि देवास सिनियर पटवारी हल्का नंबर 16 मे खसरा नंबर 393 , 394 , 395 की स्थित है।

विपक्षी की भूमि से पश्चिम दिशा मे निगरानीकर्तागण की भूमि स्थित है। निगरानीकर्तागण ने इस भूमि को सन् 1994 मे क्रय की है।

विपक्षी ने अपनी भूमि खसरा नंबर 393 , 394 और 395 का सीमांकन प्रकरण क्रमांक 13/अ–12/1997–98 मे दिनांक 14–01–1998 को विधिवत् कराया था। इस प्रकरण के सीमांकन प्रतिवेदन मे जो निष्कर्ष उल्लेखित किया है वह इस प्रकार है। "आवेदक (निगरानी मे विपक्षी) के भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नही पाया गया , आवेदक का ही कब्जा उसकी भूमि पर है।" इसकी छायाप्रति प्रकरण मे संलग्न है। इस सीमांकन को विधि अनुसार विपक्षी ने नियत समयावधि मे कोई चुनौती नही दी है।

..............निरन्तर पृष्ठ 2

(212)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(146)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1249-एक/2005

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 22-06-2006 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	